



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदक संस्थान वेनिका हाइड्रो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर के द्वारा Mahan SHP - III Hydro Power Project 132 के व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु सूरजपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र घुई अंतर्गत प्रभावित संरक्षित वनभूमि 3.552 हे. एवं वन विकास निगम अन्तर्गत संरक्षित वन भूमि 6.032 हे. कुल 9.584 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक सरगुजा के द्वारा जनहित में की गई अनुशंसा से सहमत होते हुए वन संरक्षण अधिनियम - 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: ०६/०८/२०१९

स्थान: नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़, रायपुर



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/विद्युत/ 479-170/ 1977

रायपुर, दिनांक 08/08/2019

प्रति,

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषय:- **Diversion of forest land for non forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Mahan SHP - III Hydro Power Project (132 KV Chikni to Pratappur Transmission Line) area - 9.584 ha. regarding.**

पंजीयन क्रमांक- FP/CG/TRANS/33519/2018

- संदर्भ:-
1. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्र/ मा.चि/ न. क्र./115/ 2019/ 1238 दिनांक 27.07.2019
 2. वन मंडलाधिकारी, कोरिया वन मंडल का पत्र क्रमांक/ मा. चि/ 1105 दिनांक 07.08.2019

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, सरगुजा द्वारा अनुशंसा उपरांत आवेदक संस्थान वेनिका हाइड्रो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर के द्वारा Mahan SHP - III Hydro Power Project 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु सूरजपुर वनमण्डल के परिक्षेत्र घुई अंतर्गत प्रभावित संरक्षित वनभूमि 3.552 हे. एवं वन विकास निगम अन्तर्गत संरक्षित वनभूमि 6.032 हे. कुल 9.584 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का परीक्षण किया गया, परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्रमांक -1 आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 20 तक) - वनमण्डल सूरजपुर के परिक्षेत्र घुई अंतर्गत संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक - पी 226 रकबा 1.367 हे. तथा कक्ष क्रमांक - पी102 रकबा 2.185 हे. एवं वन विकास निगम अंतर्गत संरक्षित वनभूमि कक्ष क्रमांक - पी219 रकबा 6.032 हे. कुल सकल प्रभावित वनभूमि 9.584 हे. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।

बिन्दु क्रमांक -2 प्रपत्र- I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 21 से 22 तक) - प्रकरण का ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक - FP/CG/TRANS/33519/2018 दिनांक 30.05.2018 को आबंटित किया गया है।

बिन्दु क्रमांक -3 वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 23) - सूरजपुर वन मण्डल के परिक्षेत्र घुई अंतर्गत 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण में संरक्षित वनभूमि 3.552 हे. एवं वन विकास निगम अंतर्गत संरक्षित वन भूमि 6.032 हे. कुल सकल प्रभावित 9.584 हे. वनक्षेत्र प्रस्तावित है।

बिन्दु क्रमांक -4 गैर वनक्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 24 से 39 तक) - 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य हेतु प्रभावित गैर वन क्षेत्र का कुल रकबा 65.692 हे. है।

बिन्दु क्रमांक -5 प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपाशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 40, 41 एवं 272 में दर्शित है) - प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपाशीट 1:50000 स्केल मानचित्र पर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित पारेषण लाईन चिन्हित कर संलग्न है। मानचित्र वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है।

बिन्दु क्रमांक -6 वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 42 से 47 तक) – प्रस्तावित वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप 1:15000 स्केल मानचित्र पर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित पारेषण लाईन चिन्हित कर संलग्न है। वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा जारी किया गया प्रबंधन नक्शा वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल सूरजपुर से प्रतिहस्ताक्षरित है।

बिन्दु क्रमांक -7 प्रपत्र -4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 48 से 53 तक) – सूरजपुर वनमण्डल में परिक्षेत्र घुई अंतर्गत संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक – पी226 रकबा 1.367 हे. तथा कक्ष क्रमांक – पी102 रकबा 2.185 हे. एवं वन विकास निगम अंतर्गत संरक्षित वन भूमि कक्ष क्रमांक – पी219 रकबा 6.032 हे. कुल सकल प्रभावित वनभूमि 9.584 हे. व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। परियोजना की कुल लागत 12.75 करोड़ रुपये है।

बिन्दु क्रमांक -8 प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ 54 से 55 तक) – लघु जल विद्युत परियोजना महान- III से उत्पादित 24.75 मेगावाट गैर परम्परागत ऊर्जा को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण लाईन कम्पनी के 132/33 के.व्ही. नजदिकी उपकेन्द्र प्रतापपुर तक जोड़ने हेतु 132 के.व्ही. विद्युत पारेषण लाईन का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

बिन्दु क्रमांक -9 वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 56) – आवेदक संस्थान वेनिका हाइड्रो प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड रायपुर छ.ग. के द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने का वचनवद्ध है, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -10 न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 57 एवं 272) – सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर के परिक्षेत्र घुई अंतर्गत 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर तक पारेषण लाईन निर्माण के लिए 3 विकल्पों का पता लगाया गया है। जिसमें प्रस्तावित मार्ग को ही अन्य 2 विकल्पों की अपेक्षा वन भूमि का न्यूनतम उपयोग एवं तकनीकी दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया है।

बिन्दु क्रमांक -11 पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 58 से 63) – 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण के लिए भारत सरकार (पर्यावरण एवं वन) नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार पर्यावरण संरक्षण क्लीयरेंस की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -12 वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र-अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ 64 से 114) – 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण के लिए प्रपत्र-अ एवं ब में वृक्ष विदोहन विवरण संलग्न किया गया है। 27 मीटर चौड़ाई में कुल 1176 वृक्ष खड़े हैं। कण्डक्टर के नीचे 3 मीटर की बेल्ड में आने वाले 538 वृक्षों का विदोहन किया जाना प्रस्तावित है जिनका विवरण प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 114 ए एवं 114 बी पर दिया गया है।

बिन्दु क्रमांक -13 कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 115 से 117) – 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण में प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल 20.000 हे. से कम होने के कारण लागू नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत जारी निर्देश हैण्ड बुक छायाप्रति संलग्न किया गया है।

बिन्दु क्रमांक -14 चयनित गैर वनक्षेत्र /निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) (प्रस्ताव पृष्ठ 118, 118(a) से 118 (n) तक) – 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण में सूरजपुर वन मंडल के संरक्षित वन भूमि 3.552 हे. एवं वन विकास निगम अंतर्गत संरक्षित वनभूमि 6.032 हे. कुल सकल प्रभावित 9.584 हे. वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि रकबा 9.584 हे. ग्राम पलारीडांड, प.ह.न. 10 रा.नि.म. सोनहत, तह. सोनहत जिला – कोरिया में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भू-स्वामियों के साथ अनुबंध कर पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। वन मंडलाधिकारी कोरिया ने पत्र क्रमांक 3587 दिनांक 10.02.2019 से भूमि को सिंचित वृक्षारोपण के उपयुक्त बताया है प्रस्ताव पृ. क्र.118 (a)।

बिन्दु क्रमांक -15 गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 119 से 128 एवं 209, 210 तक) – 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण में गैर वनक्षेत्र के आसपास का नक्शा प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -16 स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 129 से 210) – आवेदक संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली गैर वनभूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र, अक्षांश/देशांश प्रजातिवार विवरण एवं डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट सहित) प्रस्ताव में संलग्न किया है।

बिन्दु क्रमांक -17 वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 211 से 212) – प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वन भूमि रकबा 9.584 हे. ग्राम पलारीडांड, प.ह.न. 10 रा.नि.म. सोनहत, तह. सोनहत जिला – कोरिया में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित है। उक्त गैर वन भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। वृक्षारोपण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -18 अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 213) – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। इत्त आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -19 अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 214) – प्रस्तावित 132 के. व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने के कारण अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण निरंक है।

बिन्दु क्रमांक -20 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 215) – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अधिनियम उल्लंघन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -21 वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 216) – प्रस्तावित वन भूमि के बदले समतुल्य गैर वनभूमि रकबा 9.584 हे. ग्राम पलारीडांड, प.ह.न. 10 रा.नि.म. सोनहत, तह. सोनहत जिला – कोरिया में (निजी भूमि) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक द्वारा क्रय कर वन विभाग को हस्तांतरित एवं नामांतरित की जावेगी। अतः गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -22 कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 217) – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण होने के कारण कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -23 रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 218) – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -24 माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 219) – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु प्रस्तावित है। अतः प्रकरण में IBM नागपुर से माईनिंग प्लान अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -25 व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 220) – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र से किसी का विस्थापन नही होने का उल्लेख है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -26 वनअधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 221 से 230) – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में मेसर्स वेनिका हाईड्रो प्रोजेक्ट प्रा. लि. रायपुर, वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर एवं मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का प्रतिवेदन (प्रपत्र I, प्रपत्र II एवं प्रपत्र III) में संलग्न है। आवेदित वन क्षेत्र का वन घनत्व 0.5 है। वन मंडलाधिकारी सूरजपुर ने स्थल निरीक्षण करने के उपरांत प्रस्ताव की राष्ट्रहित में अनुशंसा की है। मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा ने वन मंडलाधिकारी सूरजपुर के सुझाव से सहमति दर्शाते हुए प्रस्ताव की जनहित में अनुशंसा की है।

बिन्दु क्रमांक -27 ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 231) – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारिषद लाईन निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के ईमारत/स्मारक या भवन नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -28 संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 232 से 239) – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारिषद लाईन निर्माण परियोजना के अंतर्गत पडने वाले ग्राम पंचायत – मायूरधक्की, चिकनी, जजावल, गोरगी, पकनी, चन्दौरा एवं आमनदोन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -29 जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में) (प्रस्ताव पृष्ठ 240) – सूरजपुर जिले की सूरजपुर वन मंडल में सम्मिलित आरक्षित वन एवं संरक्षित वन का विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। विवरण अनुसार वन मंडल में 176193.088 हे. वन भूमि है।

बिन्दु क्रमांक -30 व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.में. (प्रस्ताव पृष्ठ 241से 244) – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमण्डल के अंतर्गत माह जून 2019 की स्थिति में स्वीकृत प्रकरणों की संख्या 25 एवं प्रत्यावर्तित वन रकबा 2580.524 हे. है। विवरण प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बिन्दु क्रमांक -31 व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे.में (प्रस्ताव पृष्ठ 245) – सूरजपुर के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसी श्रेणी में प्रत्यावर्तित वनभूमि 494.090 हे. (वनभूमि 397.787 हे. एवं राजस्व वनभूमि 96.303 हे.) है।

बिन्दु क्रमांक -32 प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 246 से 252) – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारिषद लाईन निर्माण के अन्तर्गत 10 कि.मी. की परिधि में तमोर पिंगला अभ्यारण्य आता है। प्रस्तावित पारिषद लाईन तमोर पिंगला अभ्यारण्य की सीमा से 2.00 कि.मी. की दूरी से जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित पारिषद लाईन के निर्माण अन्तर्गत 10 कि.मी. की परिधि में ऐतिहासिक महत्व का कोई भी चिन्ह या स्थान नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -33 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 253) – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारिषद लाईन निर्माण हेतु प्रस्तावित है। अतः प्रकरण में 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्ताव स्थलों का चिन्हांकन की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -34 वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 254 से 261) – भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक F.No.-11-9/1998-FC.दिनांक 03-08-2009 एवं दिनांक 05-02-2013 के अनुक्रम में प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारिषद लाईन निर्माण परियोजना हेतु कलेक्टर सूरजपुर का प्रमाण पत्र दिनांक 07.03.2019 एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैयाथान तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) प्रतापपुर द्वारा सत्यापित अनुभाग स्तरीय वन अधिकार समिति के कार्यवाही विवरण की प्रति एवं ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति पकनी/चिकनी का प्रतिवेदन प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -35 राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 262 से 263) – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारिषद लाईन निर्माण परियोजना हेतु राजस्व वनभूमि प्रस्तावित नहीं है। अतः राजस्व वनभूमि हेतु कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रकरण में वन विकास निगम अंतर्गत संरक्षित वनभूमि वनखण्ड- चिकनी के कक्ष क्रमांक पी 219 रकबा 6.032 हे. प्रस्तावित है इस क्षेत्र हेतु मंडल प्रबंधक, सरगुजा परियोजना मंडल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -36 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 264) – छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग रायपुर द्वारा ECO-Value के आधार पर जो भी प्रत्याशा शुल्क निर्धारित होगा, आवेदक संस्थान वेनिका हाइड्रो प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड रायपुर छ.ग. द्वारा जमा किया जायेगा। आवेदक संस्थान के द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बिन्दु क्रमांक -37 Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 265) – वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव से संबंधित भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात जो भी राशि शर्त अनुसार निर्धारित की जाती है तो वह राशि CAMPA निधि में तत्काल जमा करने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है। आवेदक संस्थान के द्वारा इस आशय का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

बिन्दु क्रमांक -38 “A detailed note on Soil Productivity or the lack of it” (प्रस्ताव पृष्ठ 266) – आवेदित वनभूमि मृदा वर्गीकरण के पांचवे श्रेणी में आता है, जिसमें फसल उत्पादन की संभावना कम है एवं मृदा क्षरण की संभावना नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -39 परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 267) – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु 9.584 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। उक्त प्रकरण में आवेदित वन भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है एवं वन विभाग के नियमानुसार स्वीकृति मिलने के पूर्व कोई भी कार्य नहीं किया जावेगा। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक -40 Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 268) – 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण हेतु 9.584 हे. वन भूमि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है। उक्त व्यपवर्तित प्रकरण 500 हेक्टेयर से कम होने के कारण वोकेशनल ट्रेनिंग संस्थान की आवश्यकता नहीं है।

बिन्दु क्रमांक -41 पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 269) – आवेदक से पंजीयन शुल्क मूल्य 6000/- एवं प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क मूल्य 58,000/- कुल मूल्य 64000/- की राशि एक्सीस बैंक, बंगलौर के डिमांड ड्राफ्ट क्रमांक क्रमशः 057596 एवं 057597 दिनांक 07.05.2018 को वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर के नाम तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्राप्त राशि को जिला कोषालय सूरजपुर में चालान क्रमांक क्रमशः 93 एवं 94 दिनांक 25.06.2018 के द्वारा वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर के पी. डी. खाता में जमा किया गया है।

बिन्दु क्रमांक -42 वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 270) – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन निर्माण परियोजना खनन प्रकरण से सम्बन्धित नहीं होने के कारण वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत आवश्यक नहीं है— ऐसा प्रस्ताव में लेख किया गया है। नोडल कार्यालय का अभिमत यह है कि प्रस्तावित पारेषण लाईन तमोर पिंगला अभ्यारण्य की सीमा से 2 कि.मी. की दूरी से जा रही है अतः वन्यप्राणी क्लीयरेंस की आवश्यकता है या नहीं इस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी)/मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक का अभिमत लिया जाना चाहिए। भारत सरकार के पत्र दिनांक 14.08.2015 के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृति तथा वन्य प्राणी क्लीयरेंस दोनों समानांतर में एक साथ (concurrently) प्रसंस्करण किया जा सकता है।

बिन्दु क्रमांक -43 विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 271 से 272) – प्रस्तावित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारेषण लाईन के एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र संलग्न किया गया है। इस पारेषण लाईन के निर्माण में तीन विकल्पों में प्रभावी वनक्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है।

Sr. No	ALTERNATIVE	Length in Km.	Forest land in Hactare	Remark
1	Alternative-1	3.549	9.584	Proposed route has minimum involvement of forest land as well as trees.
2	Alternative-2	8.877	23.97.	Route has highest line length & passes over hill and also involve highest forest land & trees as compare to alternative-1 & 3.
3	Alternative-3	7.518	20.3	Passes through the Tamor Pingla Sanctuary and aslo involve more forest land & trees as compare to alternative-1.

बिन्दु क्रमांक -44 प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 273 से 311) – प्रस्ताव में अन्य कमियां नहीं है। अतिरिक्त जानकारी के रूप में प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट तथा वनक्षेत्र में पारिषण लाईन के कन्डक्टर के नीचे बौने प्रजाति के औषधीय पौधे रकबा 1.065 हे. में रोपित किये जाने का प्रस्ताव संलग्न किया गया है। इसके अलावा वन मंडलाधिकारी कोरिया ने अपने पत्र क्रमांक/ मा. चि/ 1105 दिनांक 07.08.2019 से चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक-17 के पालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई निजी भूमि 9.854 हे. के वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त पाये जाने का प्रमाण पत्र स्थल निरीक्षण के आधार पर जारी किया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर द्वारा विषयांकित 132 के.व्ही. चिकनी से प्रतापपुर पारिषण लाईन निर्माण की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।

मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए तथा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण स्वीकृति के लिए प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

- संलग्न:-
- 1 प्रस्ताव 3 प्रतियों में
 - 2 डी. जी.पी.एस. सर्वे 3 प्रतियों में
 - 3 भाग-4 एवं टाईम लाईन
 4. वन मंडलाधिकारी कोरिया का पत्र दिनांक 07.08.2019 की प्रति (2 पृष्ठीय)

(प्र.मु.व. संरक्षक द्वारा अनुमोदित)


(अतुल कुमार शुक्ला)
अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध / व. सं. अ)
छत्तीसगढ़